# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 194/2022

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मक्खनलाल, निवासी बणी मौहल्ला, वार्ड नं0 3, शिमला, मु0पो0 शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

**दिनांक 29.06.2022**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 194/2022 पर दिनांक 07.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/2527–28 दिनांक 07.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0/22/374 दिनांक 24.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्खनलाल यादव, निवासी शिमला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कीर धारा 6 ( 3 ) के अन्तर्गत अन्तरित होकर इस कार्यालय मे दिनांक 11.01.2022 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/22/32 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0/22/374 दिनांक 24.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्खनलाल यादव, निवासी शिमला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कीर धारा 6 ( 3 ) के अन्तर्गत अन्तरित होकर उनके कार्यालय मे दिनांक 11.01.2022 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/22/32 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:12:16 IST
Reason: SelfAttested

( एल0 एस0 कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं